रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 175] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 1972/आषाढ़ 13, 1894
No. 175] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 1972/ASADHA 13, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATON

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 4th July 1972

G.S.R. 328(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 105/69-Central Excises, dated the 3rd April, 1969, namely:—

In the said notification, for clause (i) of the first proviso, the following clause shall be substituted, namely:—

"(i) this exemption shall not be applicable to non-vegetarian soups and broths and to any other prepared or preserved food (except preparations with a basis of malt extract or of malted barley) which is not comprised in item No. 7, 8 or 9 of the schedule annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 17/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970;".

[No. 160/72.]

S. R. NARAYANAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1972

जी०एस०आर० 328(**अ**).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना स० 105/69–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 3 अप्रल, 1969 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में, प्रथम परन्तुक के खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात—

"(1) यह छूट सामिष सूपों और आर्थों को और किसी अन्य ऐसे तैयार या परिरक्षित खाद्य ऐसी निर्मितियों को छोड़कर जिनका आधार माल्ट निष्कर्ष या माल्टमिश्रित बल है) को लागू नहीं होगी जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 17/70 – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 1 मार्च 1970 से उपाबद्ध अनुसूची की मद सं० 7, 8 या 9 में समाविष्ट नहीं है।

[सं0 160/72]

एस० आर०. नारायणन, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971